

बिहार सकरार  
योजना एवं विकास विभाग  
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था02/02-04/2016

34

पटना, दिनांक- 23.03.12

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०),

निदेशक।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, बक्सर, समस्तीपुर, शिवहर, दरभंगा,  
अरबल एवं बांका।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्यशीर्ष-3454 के राज्य योजना बजट उपशीर्ष  
-0101-सामग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के स्वीकृत्यादेश संख्या-391  
दिनांक 03.03.2017 के आलोक में आउट सोर्सिंग एजेंसी में ब्राइट इंटेलीजेस  
सर्विसेज से प्राप्त वाहन चालक की सेवा के लिए मानदेय/ पारिश्रमिक  
भुगतान हेतु 2,67,000/- (दो लाख सड़सठ हजार) रुपये मात्र अतिरिक्त  
आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने  
पत्रांक-3429 दिनांक- 01.04.2015 के माध्यम से सूचित किया है कि बिहार विधान  
मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक,  
2015 स्वीकृत हो चुका है।

2. कंडिका-02 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय  
करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
3. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष  
02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य  
योजना, उप शीर्ष-0101-सामग्र सांख्यिकी विकास योजना के अन्तर्गत आवंटित की जा  
रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड- P/3454022050101 है।
4. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 से 7 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित  
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।
5. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन  
आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर  
निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र  
पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि  
के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी  
स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।
6. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण  
जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय  
स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन  
के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार  
होंगे।
8. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998,  
पत्रांक-3429 दिनांक-01.04.2015 तथा वित्त विभाग के पत्रांक-5294 दिनांक-

*[Signature]*

- 17.06.15 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।
9. स्वीकृत्यादेश संख्या-391 दिनांक- 03.03.2017 के आलोक में बिहार समग्र सांख्यिकी विकास योजना के तहत सेवा प्रदाता एजेंसी मेसर्स ब्राइट इन्टलीजेन्स एण्ड सिक्यूरिटी सर्विसेज पटना से प्राप्त वाहन चालक की सेवा के विरुद्ध कार्यरत वाहन चालक को इस आवंटन से नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में पारिश्रमिक का भुगतान किया जायगा।
10. आवंटित राशि से नियमानुसार अधिकृत आउट सोर्सिंग एजेंसी से सेवा प्राप्त वाहन चालक के मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन करने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

बजट सहायक

प्रशाखा पदाधिकारी

सहायक निदेशक व०सं० निदेशक

विश्वासभाजन

प०सं० निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

ज्ञापांक- 34

दिनांक- 23.03.17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक- 34

दिनांक- 23.03.17

प्रतिलिपि:- 1. संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक- 34

दिनांक- 23.03.17

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)

2. संयुक्त निदेशक(योजना), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना
3. कार्यालय लेखापाल(दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन प्रसाद सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
5. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 का अतिरिक्त आवंटन विवरणी। जिसका मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-P/3454022050101 है।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटित दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6
जिला सांख्यिकी कार्यालय					
1	पटना	-	-	10000	10000
2	बक्सर	-	-	20000	20000
3	समस्तीपुर	-	-	17000	17000
4	शिवहर	-	-	50000	50000
5	दरभंगा	-	-	20000	20000
6	अरबल	-	-	20000	20000
7	बांका	-	-	130000	130000
	कल योग:-	0	0	267000	267000

(दो लाख सदस्थ हजार रुपये मात्र)

प्रशांत सहायक  
बजट सहायक

प्रशांत  
पदांशु

सहा० निदेशक  
व०सं० निदेशक

१५३३१७  
निदेशक  
अर्थ एवं सां० निदेशालय